

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 33/2019 जीसीएमएस : 2019/00116 अमीचन्द बनाम सरपंच ग्रा.पं. 2एमएसडी वगैरा प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 व धारा 151 सीपीसी	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
20.03.2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी निवेदन किया कि प्रकरण मात्र मूल प्रकरण जो कि अदम हाजरी में निरस्त कर दिया गया था को रेस्टोर करने के संबंध में है जो कि वर्ष 2019 से लम्बित चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल प्रकरण पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नियत है, पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया है कि अप्रार्थीगण की नोटिस तामील चस्पा द्वारा, स्वयं पर अथवा पारिवारिक सदस्यों पर हो चुकी है जिसके बावजूद भी वे उपस्थित नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपील प्र.सं. 03/15 अमीचन्द बनाम सरपंच ग्रा.पं. 2 एमएसडी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2019 जिसके द्वारा अपील को अदम हाजरी व आदम पैरवी में खारिज किया गया है, में पारित आदेश दिनांक 05.03.2019 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 10 अनुपस्थित है। मूल प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 05.03.2019 का है, हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2019 को पेश किया गया है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करने के लिए प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पृथक से प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में तथ्य दर्शा किये गये हैं कि प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुर्कर प्रेम के कारण प्रार्थी/अपीलार्थी अधिवक्ता के आश्वासन पर सद्भाविक रहते हुए उपस्थित नहीं हुए और अपीलार्थी के अधिवक्ता अन्य अदालतों में कार्य अधिकता की वजह से आवाज पर उपस्थित नहीं हो सके। दिनांक 16.05.2019 को प्रार्थी को आदेश दिनांक 05.03.2019 का ज्ञान हुआ। जानबूझकर देरी से प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पर के आधार पर न्यायहित में न्यायालय की राय में उचित है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल प्रकरण पुनः रिकार्ड पर लिया जावे ताकि प्रार्थी के विधिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके परन्तु न्यायालय यह भी उचित समझता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी की उपस्थिति में चूक के कारण प्रकरण मूल अपील को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है ऐसे में प्रार्थी पर शास्ति आरोपित किया जाना भी आवश्यक है। अतः 500/- रुपये कोस्ट पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल अपील प्र.सं. 03/15 अमीचन्द बनाम सरपंच ग्रा.पं. 2 एमएसडी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2019 को निरस्त कर मूल अपील के रेस्टोर किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। मूल अपील पत्रावली तलब होकर दिनांक 16.04.2025 को पेश हो। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर मूल अपील के साथ संलग्न रहे।</p>	



शकुन्तला

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

